फर्द अहकाम

बनाम

नाथूलाल / संतोष कुमार वगैरह

न्यायालय

संख्या 6(ग) /60/2021

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	30/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित (प्रार्थी) पत्रावली प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 CPC अधिकार्थ पेश हुआ। वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण एवं क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 07 R11 CPC स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर हस्ता० प्र० किया गया। पत्रावली बाद नक्करदेल कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30/4/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2025.05.14 14:56:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर शहर प्रथम, जयपुर

उनवान नाथूलाल बनाम संतोष

दावा 160/2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0

निर्णय

दिनांक 30/4/25

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि:– अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01, 06, 07 ने दिनांक 14.09.2022 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 पेश किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किया है कि ग्राम नांगल जैसा बोहरा, भू0 अ0 नि0 क्षैत्र झोटवाडा, तहसील व जिला जयपुर अवस्थित खसरा नम्बर 364 रकबा 0.1012 है0 व खसरा नम्बर 365 रकबा 0.0253 है0 बाबत् तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है, वाद में केवल 02 खसरों के विभाजन के लिए वाद पेश किया है जबकि उक्त खसरा नम्बरों के वर्तमान खाता संख्या 99 में अन्य खसरा नम्बर 114, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 484/1 भी शामिल है जिनका विभाजन इस वाद के माध्यम से नही चाहा गया है। विभाजन के वाद में एक खाते के सभी खसरा नम्बरों के लिए पेश किया जाना आवश्यक था, परन्तु बदनियति से केवल खसरा नम्बर 364 व 365 के लिए ही पेश किया गया है। वादग्रस्त भूमि में वादी ने अपने हिस्से की भूमि को जरिए अनुबंध पत्र सुभाष सिंधि हाउसिंग कॉ–ऑपरेटिव सोसायटी को बेचान किया जा चुका है। जिस पर श्री नारायण विहार के नाम से कॉलोनी सृजित है एवं भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग–उपभोग किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि में खातेदारों के खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है। इसके तथ्य छिपाकर वाद पेश किया है। खसरा नम्बर 364, 365 का पेट्रोल पम्प वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ परिवर्तित किया जा चुका है। जिसकी सुनवाई का अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है। अतः वादी का वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने [illegible] सीपीसी का जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के [illegible] खसरा नम्बर 364 व खसरा नम्बर 365 को लेकर ही तनाजा है। अन्य [illegible] को लेकर कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 किसी अन्य खसरा नम्बरान् [illegible] भूमि से प्रभावित है तो वाद में जवाब पेश कर काउन्टर क्लेम पेश अपने अधिकार क्लेम कर सकते है। माननीय न्यायालय को वाद निस्तारण के समय केवल वादपत्र का ही अवलोकन करना है, अन्य दस्तावेजात् अथवा उज्र के आधार पर दावे का निस्तारण नहीं किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2025.05.14 14:36:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

इसके लिए दृष्टान्त आर.आर.टी. 2021(2) पेज 1480 पेश किया गया है। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी का बेचान किसी भी पक्षकार को नहीं किया गया है। उक्त कथन प्रतिवादी वादोत्तर के माध्यम से ही उठा सकता है जिसका निस्तारण साक्ष्य सबूत लेकर ही किया जा सकता है। उक्त खसरा नम्बरों का संपरिवर्तन किसी भी पक्षकार द्वारा नहीं करवाया गया है। जमाबंदी में अंकित उक्त समप्रयोजन केवल मात्र उक्त अंकित किस्म में ही समपरिवर्तित किया जाना संभव है। वादग्रस्त आराजी में वादी की खातेदारी हिस्सा 1/6 दर्ज है जिस पर वादीगण काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र केवल वादी की खातेदारी से मौके से बेदखल कर आवासीय योजना विकसित करना चाहते है। यह प्रार्थना पत्र वाद की कार्यवाही में देरी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी खारिज किए जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभयपक्षों की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 पर बहस सुनी गई। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन कर न्यायालय यह पाता है कि यह वाद बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया है। वाद पत्र ग्राम नांगल जैसा बोहरा, भू0 अ0 नि0 क्षेत्र झोटवाडा, तहसील व जिला जयपुर अवस्थित खाता संख्या 99 के खसरा नम्बर 364 रकबा 0.1012 है0 व खसरा नम्बर 365 रकबा 0.0253 है0 हेतु पेश किया गया है। जबकि इनके वर्तमान खाता संख्या 99 में अन्य खसरा नम्बर 114, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 484/1 भी अंकित है। जिनके विभाजन के लिए वाद पेश नहीं किया गया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी एक खाते के सभी खसरा नम्बरों के विभाजन के लिए एक साथ, एक ही वाद पेश किया जाना चाहिए, इसलिए वादी का वाद धारा 53(5) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से बाधित है। दूसरा यह है कि वादी ने वाद पत्र के साथ जमाबंदी संवत 2075–2078 एवं जमाबंदी संवत 2076 पेश की है जिनमें भूमि की किस्म क्रमशः पेट्रोल पम्प वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ तथा गै0मु0चाह अंकित है। अतः विवादित भूमि की किस्म अकृषि हो जाने से वाद सुनवाई का क्षैत्राधिकार न्यायालय को नहीं है। अतः वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण एवं क्षैत्राधिकारिता से बाहर होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर, वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 8/4/25 को खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखित दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2025.05.14 14:56:54 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ० सरिता शर्मा)
सहायक कलक्टर